

प्रस्ताव हेतु अनुरोध – राष्ट्रीय आवास बैंक कार्यालयों के कार्यालयों हेतु सलाहकार/आर्किटेक्ट/  
आर्किटेक्चरल फर्म की पैनलबद्धता

आरएफपी संदर्भ सं.: रा.आ.बैंक(नदि)/परिसर/ OUT00206/2022 दिनांकित 25.01.2022

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)-

राष्ट्रीय आवास बैंक कार्यालयों के कार्यालयों हेतु सलाहकार/आर्किटेक्ट/ आर्किटेक्चरल फर्म की  
पैनलबद्धता

सामान्य प्रशासन विभाग,  
मुख्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक  
कोर 5-ए, तीसरा तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड,  
नई दिल्ली – 110 003  
फोन: 011-39187149  
ई-मेल: [sachin.sharma@nhb.org.in](mailto:sachin.sharma@nhb.org.in)

प्रस्ताव हेतु अनुरोध – राष्ट्रीय आवास बैंक कार्यालयों के कार्यालयों हेतु सलाहकार/आर्किटेक्ट/  
आर्किटेक्चरल फर्म की पैनलबद्धता

1. महत्वपूर्ण बोली विवरण		
1.	बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों की बिक्री प्रारंभ करने की तिथि	25.01.2022
2.	बोलीदाताओं के साथ बोली- पूर्व बैठक (तिथि एवं समय)	31.01.2022: 1700 Hrs
3.	बोली दस्तावेजों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय	16.02.2022 : 1800 Hrs
4.	तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय	17.02.2022: 1500 Hrs
5.	बयाना जमा राशि	संबंधित परियोजना के लिए वाणिज्यिक/वित्तीय बोलियां जमा करते समय बोलीदाताओं से परियोजनावार ईएमडी प्राप्त की जाएगी। वर्तमान में, केवल सुरक्षा बोली घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है जैसा कि आरएफपी के खंड 6.12 में उल्लिखित है।
6.	बोलियां खोलने का स्थान	राष्ट्रीय आवास बैंक सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यालय, कोर 5-ए, तीसरा तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003

नोट: -

- बोलियों को उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा जो उपरोक्त में भाग लेना चाहेंगे। उपरोक्त अनुसूची परिवर्तन के अधीन है। किसी भी परिवर्तन की सूचना केवल नामित संपर्क कर्मियों से ई-मेल के माध्यम से या रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित करके प्रदान की जाएगी।
- इस आरएफपी के साथ दस्तावेजी साक्ष्य/कंपनी के माध्यम से प्रस्तुत सभी डाटा/सूचना को रिपोर्ट किया जाए एवं इस आरएफपी के प्रकाशन की तारीख को माना जाएगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध – राष्ट्रीय आवास बैंक कार्यालयों के कार्यालयों हेतु सलाहकार/आर्किटेक्ट/आर्किटेक्चरल फर्म की पैनलबद्धता

## 2. राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), एक सांविधिक संगठन है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (“अधिनियम”) के तहत की गई है।

क. राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु की गई है:

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना
- अधिनियम के तहत प्राप्त विनियामक और पर्यवेक्षी प्राधिकरण के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों को विनियमित करना
- आवास निर्माण हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि और निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्ति कर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।

ख. रा.आ.बैंक का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में है। इसके प्रतिनिधि कार्यालय हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और अहमदाबाद में हैं।

## 3. प्रयोजन/उद्देश्य:

रा.आ.बैंक जब भी आवश्यक हो कार्य-क्षेत्र में विस्तृत सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित सलाहकार/आर्किटेक्ट/आर्किटेक्ट फर्मों का एक पैनल तैयार करना है।

पैनलबद्धता हेतु अनुरोध अन्य बातों के साथ-साथ, नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ आदि (जैसा कि कार्य क्षेत्र में विस्तृत है) सहित विभिन्न स्थानों पर बैंक के परिसर के विभिन्न प्रकार की आंतरिक साज-सज्जा, आवश्यकता-आधारित सिविल निर्माण, नवीनीकरण और मरम्मत कार्यों के लिए प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट्स / सलाहकारों से उनकी सेवाओं के लिए आमंत्रित किया जाता है।

आर्किटेक्ट्स/परामर्शदाताओं की विभिन्न श्रेणियों का विवरण नीचे दिया गया है: -

प्रस्ताव हेतु अनुरोध – राष्ट्रीय आवास बैंक कार्यालयों के कार्यालयों हेतु सलाहकार/आर्किटेक्ट/आर्किटेक्चरल फर्म की पैनलबद्धता

तालिका अंग्रेजी अनुसार

**4. कार्य क्षेत्र:**

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

**5. पैनलबद्धता की वैधता**

प्रीक्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स (परामर्शदाताओं) का पैनल आम तौर पर **3** साल की अवधि के लिए वैध होगा, लेकिन रा.आ.बैंक के विवेक पर इसे और 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। जिन सलाहकारों/आर्किटेक्ट का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया गया, उन्हें पैनल से हटा दिया जाएगा। रा.आ.बैंक अन्य कार्यों के लिए भी उक्त पैनल का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

**नोट:**

यह आरएफपी ऐसे कार्यों, गतिविधियों, उत्तरदायित्वों और सेवाओं के वर्णन करने में परिपूर्ण नहीं है जिसके लिए वेंडर जिम्मेदार होगा। बोलीदाता, इस निविदा की भागीदारी से, अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पुष्टि करता है कि यदि कोई भी कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं जो विशेष रूप से इस आरएफपी में वर्णित नहीं हैं, या विशेष रूप से वर्णित हैं लेकिन विनियामक/सांविधिक बदलावों के कारण उपयुक्त बदलाव/ संशोधन करने पड़ेंगे तथा संविदा के उचित निष्पादन हेतु रा.आ.बैंक द्वारा आवश्यक या उपयुक्त संदर्भित किए गए हैं, ऐसे कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं (लागू बदलाव के साथ, यदि कोई हो) अंतर्निहित और इस आरएफपी के सेवा क्षेत्र तहत समाविष्ट समझा जाएगा और बोलीदाता का प्रत्युत्तर उस सीमा तक तथा उसी प्रकार का होगा जैसा कि इस आरएफपी और बोलीदाता के प्रत्युत्तर में विशेष रूप से बताया गया है।

**6. बोलीदाताओं के लिए निर्देश**

**6.1 सामान्य:-**

- केवल आवश्यकता के आधार पर पैनलबद्ध वेंडर से वाणिज्यिक कोटेशन मांगा जाएगा। यदि वेंडर/रों की सेवा उपयुक्त नहीं पाई जाती है तो रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी वेंडर की पैनलबद्धता को रद्द करने या पैनलबद्ध किसी भी वेंडर को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार सुरक्षित है। उस स्थिति में, रा.आ.बैंक, रा.आ.बैंक के पास निक्षिप्त पैनलबद्ध वेंडर की ईएमडी राशि को भी जब्त कर सकता है।

**प्रस्ताव हेतु अनुरोध – राष्ट्रीय आवास बैंक कार्यालयों के कार्यालयों हेतु सलाहकार/आर्किटेक्ट/आर्किटेक्चरल फर्म की पैनलबद्धता**

- बोलीदाताओं द्वारा उत्तरों के विकास, तैयारी एवं प्रस्तुति बैठक, परिचर्चा, प्रदर्शन इत्यादि में उपस्थिति तक ही सीमित नहीं। इससे किसी भी तरह जुड़े एवं राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अतिरिक्त सूचना प्रदान करने में खर्च की गई सभी लागत एवं व्यय पूरी तरह व विशेष रूप से बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।
- बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के अलावा, संविदात्मक करार के निष्पादन तक बोलीदाताओं एवं रा.आ.बैंक में से किसी के भी बीच कोई बाध्यकारी कानूनी संबंध नहीं होंगे। बोलियों के मूल्यांकन एवं उनको अंतिम रूप देने के एवं सफल बोलीदाता की पहचान के पश्चात सत्यनिष्ठा समझौता सफल बोलीदाता द्वारा निश्चित समझौता के भाग हेतु होगा। अन्य बोलीदाताओं के लिए, संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्रस्तुत बोली के संबंध में कथोक्त संविदा पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के उल्लंघन में बोलीदाता द्वारा किए गए किसी कार्य/चूक हेतु उन पर बाध्य होगा।
- प्रत्येक प्राप्तकर्ता मानेगा एवं स्वीकार करेगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर पात्र वेंडर(रों) छांटने/चयन करने में प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट चयन मानदंड अपना सकता है।
- प्रत्येक बोलीदाता को इस आरएफपी के जवाब में अपनी बोली जमा करके, इस आरएफपी की शर्तों और अस्वीकरण को स्वीकार करने वाला माना जाएगा।
- बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजें:

नाम: सचिन शर्मा पदनाम: प्रबंधक ईमेल आईडी: sachin.sharma@nhb.org.in फोन नंबर: +91-11- 39187149	नाम: सौरव सील पदनाम: उप महाप्रबंधक ईमेल आईडी: <a href="mailto:sourav.seal@nhb.org.in">sourav.seal@nhb.org.in</a> फोन नंबर: +91-11-39187104
--	---

- राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी/निविदा बंद होने के पश्चात अपने पूर्ण विवेक पर किसी भी बोलीदाता/बोलीदाताओं से अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है एवं बोलीदाता के प्रत्युत्तर के तौर पर ऐसी सभी सूचना एवं सामग्री उपलब्ध कराई जानी अत्यंत आवश्यक होगी।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरएफपी हेतु प्रत्युत्तर तुरंत सूचित किया जाए, बोलीदाताओं को अपने संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, ई-मेल, फैक्स एवं पूरे पते का विवरण देना चाहिए।

## प्रस्ताव हेतु अनुरोध – राष्ट्रीय आवास बैंक कार्यालयों के कार्यालयों हेतु सलाहकार/आर्किटेक्ट/आर्किटेक्चरल फर्म की पैनलबद्धता

- यदि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर यह समझे कि प्रश्न का प्रवर्तक प्रश्न के प्रत्युत्तर से लाभ हासिल करेगा तो राष्ट्रीय आवास बैंक के पास सभी बोलीदाताओं को ऐसे उत्तर बताने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- यदि कोई पूछताछ/स्पष्टीकरण हो तो उपर्युक्त संपर्क व्यक्ति/व्यक्तियों से सोमवार से शुक्रवार, सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर प्रातः 10 से सायं 6 बजे तक बोलियों के प्रस्तुत करने की समय-सीमा के पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- रा.आ. बैंक अपनी आरएफपी के परिणाम के मुमकिन होते ही सभी शार्ट लिस्ट बोलीदाताओं को लिखित रूप में अथवा मेल के द्वारा या उसे अपनी वेबसाइट में प्रकाशित करके सूचित करेगा। रा.आ. बैंक ऐसी किसी भी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए कोई कारण देने के लिए बाध्य नहीं है।

### 6.2 बोली पूर्व बैठक

इस निविदा/आरएफपी से संबंधित मुद्दों पर बोलीदाताओं के संदेहों के स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ, रा.आ.बैंक आरएफपी में इंगित की गई तिथि व समय पर बोली पूर्व बैठक आयोजित करना चाहता है। सभी बोलीदाताओं के प्रश्न लिखित में ईमेल द्वारा या पोस्ट द्वारा उपरोक्त पते पर **31.01.2022 : 1500 बजे तक या इससे पहले** पहुंच जाना चाहिए। यह भी ध्यान दें कि किसी भी बोलीदाता के पूर्व बोली बैठक के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्नों पर स्पष्टीकरण बोली पूर्व बैठक में दिया जाएगा। बोलीदाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधि को ही बोली पूर्व बैठक में भाग लेने की अनुमति होगी।

### 6.3 निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति

निविदा / आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति बैंक की वेबसाइट <http://www.nhb.org.in> पर उपलब्ध कराई जाएगी।

### 6.4 निविदा/आरएफपी की अहस्तांतरणीयता

यह निविदा/आरएफपी दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

### 6.5 मिटाना अथवा संशोधन

विलोपन या परिवर्तन वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। रा.आ.बैंक के विवेक पर तकनीकी बोलियों में किसी भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरिलेखन को केवल विचार किया जाएगा, केवल तभी यदि वह बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आद्याक्षरित हो। हालाँकि, वाणिज्यिक बोली में किसी भी तरीके

## प्रस्ताव हेतु अनुरोध – राष्ट्रीय आवास बैंक कार्यालयों के कार्यालयों हेतु सलाहकार/आर्किटेक्ट/आर्किटेक्चरल फर्म की पैनलबद्धता

से कोई अंतरालेखन, विलोपन या उपरिलेखन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। प्रस्ताव में हाथ से लिखित सामग्री, सुधार अथवा संशोधन न हो। तकनीकी विवरण पूरी तरह भरा हो। प्रस्तावित उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी भरी जाये। “ठीक”, “स्वीकृत”, “विख्यात”, जैसा कि ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है, इन शब्दों का प्रयोग करके जानकारी भरना स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, रा.आ.बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत करेगा। रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, प्रस्ताव में कोई भी मामूली गैर-अनुरूपता या किसी भी मामूली अनियमितता में छूट कर सकता है। यह सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा रा.आ.बैंक इस तरह की छूट के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

### 6.6 बोली/निवदा/आरएफपी दस्तावेजों में संशोधन

- बोलियों की प्रस्तुति की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय पर राष्ट्रीय आवास बैंक किसी कारण के लिए संशोधन या शुद्धिपत्र द्वारा बोली/निवदा/आरएफपी दस्तावेजों में संशोधन कर सकता है।
- संशोधनों को रा.आ.बैंक की वेबसाइट [www.nhb.org.in](http://www.nhb.org.in) पर दर्शाया जाएगा।
- सभी बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आरएफपी में सभी संशोधन/वृद्धि (यदि कोई हो) बोली प्रस्तुत करने से पूर्व उन्होंने उस पर विचार कर लिया है। किसी बोलीदाता द्वारा किसी प्रकार चूक के मामले में रा.आ.बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- रा.आ.बैंक अपने विवेक पर बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।
- किसी भी प्रकार के संप्रेषण में कमी के लिए रा.आ.बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में आरएफपी को रद्द करने या निवदा प्रक्रिया को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

### 6.7 बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं रा.आ.बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखी जाएगी।

### 6.8 स्थान/मात्रा में संशोधन का अधिकार

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास आरएफपी में विनिर्दिष्ट मात्रा में परिवर्तन करने का अधिकार है। राष्ट्रीय आवास बैंक के समय-समय के पास इस आरएफपी में निर्धारित सूची से एक या एक से अधिक स्थल/स्थलों को जोड़ने/हटाने का भी अधिकार सुरक्षित है।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध – राष्ट्रीय आवास बैंक कार्यालयों के कार्यालयों हेतु सलाहकार/आर्किटेक्ट/ आर्किटेक्चरल फर्म की पैनलबद्धता

## 6.9 तकनीकी मूल्यांकन मानदंड

फर्मों से प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन उनकी न्यूनतम पात्रता मानदंड दक्षताओं के आधार पर किया जाएगा। केवल अपेक्षित योग्यता तकनीकी स्कोर रखने वाली फर्म ही पैनलबद्धता हेतु पात्र होंगी।

## 6.10 बोली में शामिल किये जाने वाले दस्तावेज (प्रारूपों में अलग से निर्दिष्ट निर्देशों का कृपया अनुसरण करें, यदि कोई हो)

1. अनुलग्नक I में निर्धारित प्रारूप में बोलीदाता की जानकारी;
2. अनुलग्नक I में निर्धारित प्रारूप में (क.ख.ग.घ) बोलीदाता का अनुभव विवरण;
3. अनुलग्नक II में निर्धारित प्रारूप में अनुपालन विवरण घोषणा;
4. अनुलग्नक III में निर्धारित प्रारूप में विचलनों की सूची, यदि कोई हो;
5. अनुलग्नक IV में निर्धारित प्रारूप में तकनीकी बोली कवरींग पत्र;
6. अनुलग्नक V में निर्धारित प्रारूप में ईसीएस अधिदेश;
7. अनुलग्नक VI में निर्धारित प्रारूप में योग्यता पत्र;
8. अनुलग्नक VII के अनुसार घोषणा।

*टिप्पणी: ईएमडी राशि के बिना बोलियां पूरी तरह से खारिज कर दी जाएंगी।*

## 6.11 बोली मुद्रा

बोलियां केवल भारतीय रूपए में कोट की जाएंगी और सभी स्थानों पर उपयोग की जायेगी।

## 6.12 बयाना जमा राशि (ईएमडी)

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

## 6.13 बोलियों की वैधता अवधि

- बोलियां बैंक द्वारा निर्धारित बोली खोलने की तारीख से छह महीने तक वैध रहेंगी। कम अवधि के लिए वैध बोली को गैर-उत्तरदायी के रूप में रा.आ.बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। हालांकि सभी प्सहभागियों की सहमति से समय बढ़ाया जा सकता है।

## 6.14 बोली का प्रारूप तथा हस्ताक्षर

यहां बोली को "राष्ट्रीय आवास बैंक कार्यालयों के कार्यालयों हेतु सलाहकार/आर्किटेक्ट/ आर्किटेक्चरल फर्म की पैनलबद्धता के लिए प्रस्ताव" के रूप में संदर्भित किया गया है।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध – राष्ट्रीय आवास बैंक कार्यालयों के कार्यालयों हेतु सलाहकार/आर्किटेक्ट/ आर्किटेक्चरल फर्म की पैनलबद्धता

### 6.15 बोलियों की सीलिंग एवं चिन्हांकन

- सभी लिफाफों को नीचे दिये पते पर रा.आ. बैंक को भेजा जाये:  
उप महाप्रबंधक  
सामान्य प्रशासन विभाग  
राष्ट्रीय आवास बैंक  
कोर -5ए, भारत पर्यावास केन्द्र  
लोधी रोड  
नई दिल्ली – 110003
- सभी लिफाफों पर संपर्क नंबर के साथ बोलीदाता का नाम और पता होना चाहिए। बोलीदाता मुख्य लिफाफे में पूर्व-योग्यता मानदंड की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों के साथ पैनलबद्धता हेतु प्रस्ताव वाले अलग-अलग लिफाफों को सील करेगा।
- यह लिफाफा नॉन-विंडो होना चाहिए और इसके ऊपर “राष्ट्रीय आवास बैंक कार्यालयों के कार्यालयों हेतु सलाहकार/आर्किटेक्ट/ आर्किटेक्चरल फर्म की पैनलबद्धता के लिए प्रस्ताव” अलग से लिखा हो।
- यदि लिफाफे मुहरबंद और चिन्हित नहीं किया गए हों तो रा.आ.बैंक बोली के गुम होने या समय पूर्व खुल जाने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
- ऐसी बोलियां जो ठीक प्रकार से मुहरबंद नहीं हुईं उन पर विचार नहीं किया जाएगा और अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

### 6.16 बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख

- बोलियां रा.आ.बैंक बैंक को निर्दिष्ट पते पर प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पहले, जिसे ऊपर दर्शाया गया है, प्राप्त हो जानी चाहिए।
- बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट तिथि यदि रा.आ.बैंक के लिए अवकाश घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस में निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जा सकती है।

## प्रस्ताव हेतु अनुरोध – राष्ट्रीय आवास बैंक कार्यालयों के कार्यालयों हेतु सलाहकार/आर्किटेक्ट/आर्किटेक्चरल फर्म की पैनलबद्धता

- रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, रा.आ. बैंक की वेबसाइट की सूचना के साथ बोली दस्तावेजों में संशोधन करके बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकती है, इस मामले में, रा.आ. बैंक और बोलीदाताओं के सभी अधिकार और कर्तव्यों को पहले निर्धारित समय सीमा के अधीन किया जाएगा, इसके बाद से समय सीमा के अधीन बढ़ाया जाएगा।

### 6.17 विलम्ब से प्राप्त बोलियां

रा.आ. बैंक द्वारा बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद रा.आ.बैंक को प्राप्त बोलियां रद्द कर दी जाएंगी और उन्हें बिना खोले बोली दाता को लौटा दिया जाएगा।

### 6.18 रा.आ.बैंक द्वारा बोलियां खोला जाना

- निर्धारित तारीख और समय पर, बोलियां रा.आ.बैंक समिति द्वारा बोलीदाता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जो उस निर्धारित तारीख को उपस्थित होंगे, खोली जाएंगी।

- तकनीकी बोलियां खोलने का स्थान:

राष्ट्रीय आवास बैंक,  
कोर 5ए, भारत पर्यावास केंद्र  
लोधी रोड  
नई दिल्ली- 110003

- बोलीदाता का नाम और अपेक्षित ईएमडी की उपस्थिति या अनुपस्थिति और ऐसे अन्य विवरण, रा.आ.बैंक, अपने विवेक पर, जब उचित समझे, बोली खोलने के समय पर घोषित करेगा।

### 6.19 बोलियों का स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के समय, रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध और उसका उत्तर लिखित (ईमेल) होगा और बोली की विषय वस्तु में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।

### 6.20 प्रारम्भिक जांच

## प्रस्ताव हेतु अनुरोध – राष्ट्रीय आवास बैंक कार्यालयों के कार्यालयों हेतु सलाहकार/आर्किटेक्ट/आर्किटेक्चरल फर्म की पैनलबद्धता

- रा.आ.बैंक यह देखने के लिये बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किये गये हैं, सहायक कागजात/दस्तावेज संलग्न किये गये हैं और बोलियां हर प्रकार से ठीक हैं।
- रा.आ.बैंक बैंक स्व निर्णयानुसार, मामूली गलतियों, अवज्ञा या अनियमितता को अनदेखा कर देगा जिनसे बोली की विषय वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु इस प्रकार से अनदेखी करने का किसी बोलीदाता की रैकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के बारे में रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

### 6.21 प्रस्ताव का स्वामित्व

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और सभी सहायक प्रलेखन तब तक रा.आ. बैंक की सम्पत्ति होंगे जब तक कि रा.आ. बैंक बोलीदाता का वह अनुरोध लिखित में स्वीकार नहीं कर लेता कि प्रस्ताव तथा प्रलेखन लौटा दिये जाएंगे या नष्ट कर दिये जाएंगे।

### 6.22 बोलीदाताओं को निर्देश

बोलीदाता रा.आ.बैंक की पूर्व लिखित सहमति को छोड़कर रा.आ.बैंक द्वारा सौंपे गए कार्य को किसी तृतीय पक्ष को आउटसोर्स नहीं करेगा और रा.आ.बैंक द्वारा पंजीकृत सभी शिकायतें अपने स्वयं की सेवा/समर्थन अवसंरचना के द्वारा ही निपटाएगा।

### 6.23 सहायक सेवाओं की समय पर उपलब्धता

इस परियोजना के तहत सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए बोलीदाता के पास नई दिल्ली-एनसीआर में उचित और पर्याप्त समर्थन तंत्र होना चाहिए।

### 6.24 मैनुअल/ड्राइंग

बोलीदाता अनुबंध की अवधि के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के लिए पूर्ण तकनीकी और अन्य दस्तावेज प्रदान करेगा। सभी मैनुअल अंग्रेजी में होंगे और आपूर्ति की गई सेवाओं का स्पष्ट रूप से संकेत होना चाहिए।

### 6.25 संशोधन एवं वापसी

## प्रस्ताव हेतु अनुरोध – राष्ट्रीय आवास बैंक कार्यालयों के कार्यालयों हेतु सलाहकार/आर्किटेक्ट/आर्किटेक्चरल फर्म की पैनलबद्धता

- प्रत्येक बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि कोई भी बोलीदाता एक से अधिक प्रस्तावों को प्रस्तुत करता है, तो ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- बोलीदाता को सूचित किया जाता है कि बोली पूर्व बैठक के बाद ही बोलियाँ प्रस्तुत करें क्योंकि एक बार प्रस्तुत की गई बोली को अंतिम माना जाएगा और इस पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम समय-सीमा के बाद किसी भी बोली को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता होता है तो किसी भी बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार है। किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों की गैर-प्राप्ति/गैर-वितरण के लिए रा.आ.बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

### 6.26 बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली के लिए अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती है तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है अनुलग्नक- IV के अनुसार विचलन को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने के लिए, इस आरएफपी पर लागू अनुबंध के नियम और शर्तें उनके लिए स्वीकार्य नहीं हैं। बोलीदाताओं को यह भी स्पष्ट रूप से वर्णन करना चाहिए कि किस संबंध में और किस हद तक प्रदान किए जा रहे उपकरण और सेवाएं विनिर्देशों और आवश्यकताओं में निर्धारित विनिर्देशों से भिन्न/विचलित हैं।

### 6.27 स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता ऐसी स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो संविदा के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

### 6.28 रा.आ.बैंक से संपर्क करना या बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर अनुबंध प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक व इसके सलाहकारों से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

### 6.29 प्रस्ताव की सामग्री

बोलीदाताओं के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रक्रिया का मुख्य विषय है। इसीलिए यह आवश्यक है कि बोलीदाता ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। बोलीदाता के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में बोलीदाता की क्षमता एवं इस परियोजना में बोलीदाता की रूचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

**प्रस्ताव हेतु अनुरोध – राष्ट्रीय आवास बैंक कार्यालयों के कार्यालयों हेतु सलाहकार/आर्किटेक्ट/आर्किटेक्चरल फर्म की पैनलबद्धता**

**6.30 प्रतिबंधित या सूची से निकाले गए बोलीदाता**

बोलीदाता को एक घोषणा देनी पड़ती है कि उन्हें किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या उनके सहायकों द्वारा प्रतिबंधित या सूची से निकाला नहीं गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकारी, अर्ध सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या उनके सहायकों द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है तो इस तथ्य को स्पष्ट करना होगा। यदि यह घोषणा नहीं की जाती है, तो बोली को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा। यह घोषणा तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

**6.31 कानूनों का अनुपालन**

(क) सलाहकार/ बोलीदाता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके बारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएं के बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं रा.आ.बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए रा.आ.बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड़, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।

(ख) वेंडर ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि प्राप्त तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना/संविदा की अवधि के दौरान उसे वैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए रा.आ.बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड़, बचाव, रक्षा करने एवं पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना होगा और रा.आ.बैंक सलाहकार को यथोचित समय सीमा के भीतर देयता के ऐसे दावे अथवा मांग का नोटिस देगा।

(ग) यदि रा.आ.बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह अनुबंध नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस अनुबंध के तहत वेंडर के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**6.32 बौद्धिक संपदा अधिकार**

**प्रस्ताव हेतु अनुरोध – राष्ट्रीय आवास बैंक कार्यालयों के कार्यालयों हेतु सलाहकार/आर्किटेक्ट/आर्किटेक्चरल फर्म की पैनलबद्धता**

पैनलबद्ध वेंडर के रूप में उसके चयन की स्थिति में बोलीदाता यह वारंट देता है कि:

(क) उपलब्ध कराई गयी निविष्टियां कॉपी राइट, पेटेंट एवं किसी प्रकृति के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार जो भी हो, सहित किसी तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार की अवहेलना नहीं करेंगे।

(ख) यह आगे वारंट देता है कि प्रदेय कॉपी राइट, पेटेंट एवं किसी प्रकृति के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार जो भी हो, सहित किसी तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार की अवहेलना नहीं करेंगे।

(ग) ऐसी स्थिति में प्रदेय तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार के उल्लंघन अथवा अवहेलना के दावे के विषय बनते हैं, बोलीदाता अपनी इच्छा अथवा खर्च पर (क) रा.आ.बैंक/एसपीवी, जैसा भी मामला हो, के लिए ऐसे प्रदेय इस्तेमाल करना जारी रखने का अधिकार प्राप्त करेगा; (ख) ऐसे प्रदेयों को गैर अवहेलनायुक्त बनाते हुए बदलेगा अथवा संशोधित करेगा परंतु उक्त क्रियाकलाप अवहेलना करने वाले प्रदेयों के तौर पर प्रदेय बदले अथवा संशोधित किये गये; हों अथवा (ग) यदि प्रदेय इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त न किया जा सके अथवा प्रदेय को बदला न जा सके अथवा संशोधित न किया जा सके एवं प्रदेयों वापसी स्वीकार करना एवं बोलीदाता को ऐसे प्रदेयों के लिए अदा की गई कोई राशि के लिए रा.आ.बैंक/एसपीवी, जैसा भी मामला हो, की प्रतिपूर्ति के साथ दंड के अतिरिक्त समतुल्य उपकरण की अधिप्राप्ति के लिए रा.आ.बैंक/एसपीवी द्वारा खर्च किये गये प्रतिस्थापन लागत की रा.आ.बैंक द्वारा वसूली की जाएगी। हालांकि रा.आ.बैंक/एसपीवी इस संबंध में किसी प्रकार के खर्च, प्रभार, शुल्क अथवा किसी प्रकार की लगात का वहन नहीं करेगा। इसमें समाविष्ट निराकरण होते हुए भी बोलीदाता दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा यदि रा.आ.बैंक/एसपीवी की असमर्थता के कारण प्रस्तावित साधन का इस्तेमाल करने में सेवा स्तर की पूर्ति नहीं होती है।

(घ) बोलीदाता यह स्वीकार करेगा कि रा.आ.बैंक/एसपीवी, जैसा भी मामला हो, के करोबार के तर्क, कार्य प्रवाह, प्रत्यायोजन एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया संवेदनशील प्रकृति का विषय है एवं अतः इसे सॉफ्टवेयर के अन्य ग्राहकों, एजेंटों अथवा वितरकों को नहीं भेजेगा। ऐसी परियोजना अधूरी समझी जाएगी यदि परियोजना के वांछित उद्देश्य यथा परियोजना के कार्य क्षेत्र में उल्लिखित है, की पूर्ति नहीं करते हैं व यदि प्रणाली विभिन्न अपेक्षाओं यथा आरएफपी के दर्शाया गया है, से विधिवत समर्थित प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान करने में असमर्थ रहती है।

**6.32 झूठा/अधूरा विवरण**

**प्रस्ताव हेतु अनुरोध – राष्ट्रीय आवास बैंक कार्यालयों के कार्यालयों हेतु सलाहकार/आर्किटेक्ट/  
आर्किटेक्चरल फर्म की पैनलबद्धता**

बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदि निविदा के किसी भी चरण में अथवा अनुबंध के किसी भी चरण में स्वीकारी गयीं उसकी निविदा की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी रोकती है तो उसका/उनकी निविदा(यें)/अनुबंध (धों) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिये जाएंगे:

- (क) यदि ऐसा विवरण निविदा चरण में पाया जाता है, तो उसकी कुल बयाना राशि/ईएमडी जब्त कर ली जाएगी और निविदा/बोली को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाएगा।  
(ख) यदि ऐसा विवरण अनुबंध के चरण में पाया जाता है, तो रा.आ.बैंक अपने विवेक से पीबीजी के आह्वान सहित अनुबंध को समाप्त करने के लिए आरएफपी में प्रदान अनुसार उचित कार्रवाई कर सकता है।  
(ग) उचित समय के लिए रा.आ.बैंक द्वारा वर्जना।

**7. पूर्व योग्यता मानदंड**

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:

[www.nhb.org.in](http://www.nhb.org.in) – What's New

**\*किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।**

**XXXXX**